उत्तराखण्ड अधीनस्थसेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों मार्ग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज, रायपुर, देहरादून

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.inE-mail:chayanayog@gmail.com

संख्याः 2086/अधियाचन/2024 देहरादूनः दिनांक 08 फरवरी, 2024

विज्ञप्ति/शुद्धि–पत्र

आयोग के विज्ञापन संख्याः 48/उ0अ0से0च0आ0/2023 दिनांक 03.10.2023 द्वारा कृषि विभाग में **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 विकास शाखा, अराजपत्रित** के कुल 34 रिक्त पदों, विज्ञापन संख्याः 49/उ0अ0से0च0आ0/2023 दिनांक 13.10.2023 द्वारा विभिन्न विभागों में **स्नातक स्तरीय अर्हता** के कुल 229 रिक्त पदों, विज्ञापन संख्याः 50/उ0अ0से0च0आ0/2023 दिनांक 05.12.2023 द्वारा विभिन्न विभागों में **इण्टरमीडिएट स्तरीय अर्हता** के कुल 236 रिक्त पदों, विज्ञापन संख्याः 51/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 08.01.2024 द्वारा विभिन्न विभागों में **इण्टरमीडिएट स्तरीय अर्हता** के कुल 136 रिक्त पदों, विज्ञापन संख्याः 52/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 16.01.2024 द्वारा लोक निर्माण विभाग में **अमीन** के कुल 88 रिक्त पदों तथा विज्ञापन संख्याः 53/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग तथा डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में **व्यायाम प्रशिक्षक** के कुल 60 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की गई हैं।

उपरोक्त विज्ञापनों के प्रस्तर– **आवेदन हेतु पात्रता–** (ग)"अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो अंकित है" के स्थान पर **"उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो"**

"परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।" पढ़ा जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त विज्ञापनों में शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।